संख्या: 9/2017/1076/12-2-2016-बजट.2/2010

प्रेषक,

बी0 राम शास्त्री,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 05 माह के लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: बी0ए0(1)1392/वित्तीय स्वीकृति 2017-18 दिनांक 30 मार्च, 2017 तथा पत्र संख्या: बी0ए0(1) 15/वित्तीय स्वीकृति 2017-18 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 40610.40 लाख (रूपये चार अरब छः करोड दस लाख चालीस हजार मात्र) के सापेक्ष 05 माह के लेखानुदान (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए धनराशि रूपये 16921.00 लाख (रूपये एक अरब उन्हत्तर करोड इक्कसी लाख मात्र) की स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार नियमानुसार व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

3. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

4. मशीनों/उपकरणों का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स तथा समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेश का अनुपालन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश की होगी।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

7. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय (संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार) के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में प्राप्त निर्देशों के अधीन जारी किए जा रहे हैं जिसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(बी0 राम शास्त्री)
विशेष सचिव।

संख्या: /2017/ 1076(1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र/कृषि रक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 9/2017/ 1076 /12-2-2017-बजट.2/2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम/मानक मद	वर्ष 2017-18 में प्राविधान	05 माह के लेखानुदान (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि
अनुदान संख्या-11		
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान		
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	25.00	10.42
योग- 001-03	25.00	10.42
103-बीज		
03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र (जिला योजना)		
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	60.00	25.00
योग- 03	60.00	25.00
04-आधारिक बीज भण्डार		
0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय		
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	36000.00	15000.00
योग: 01	36000.00	15000.00
0402-बोरियों की लागत प्रासंगिक व्यय		
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	400.00	166.67
योग: 02	400.00	166.67
0403-कपास और बिनौले के बीजों की लागत (प्रासंगिक व्यय सहित)		
42-अन्य व्यय	100.00	41.67
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	10.00	4.17
योग: 03	110.00	45.83
योग: 04	36510.00	15212.50
योग: 103	36510.00	15237.50
105-खाद तथा उर्वरक		
03-देश में निर्मित रसायनिक उर्वरकों की लागत एवं प्रासंगिक		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

42-अन्य व्यय	5.00	2.08
योग: 03	5.00	2.08
04-उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं		
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10.00	4.17
योग- 04	10.00	4.17
योग: 105	15.00	6.25
107-वनस्पति संरक्षण		
03-कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है		
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	4000.00	1666.67
योग: 03	4000.00	1666.67
06-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा		
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.40	0.17
योग- 06	0.40	0.17
योग- 107	4000.00	1666.83
योग- 4401	40610.40	16921.00

(रूपये एक अरब उन्हत्तर करोड इक्कसी लाख मात्र)

(बी0 राम शास्त्री)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।